राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1704/2025

यशवन्त यादव

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, धानक्या, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पशु चिकित्सालय, बेगस, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा वर्तमान स्थान पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानान्तरण केवल मात्र 11 माह की अल्पावधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति रही है कि दो वर्ष से पूर्व किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु इस नीति के विरूद्ध जाते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश राज्यहित में पारित किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क की अपीलार्थी का स्थानान्तरण 11 माह की अल्पावधि में किया गया है, तो हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता में कार्मिक का स्थानान्तरण किसी भी समय किया जा सकता है। अतः इस आधार पर हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)